

Ability to Pay theory of Taxation

राजकीय कार्यों के संचालन के लिए सभी देशों की सरकारें अपने नागरिकों पर कर लगाती हैं जो आय का मुख्य स्रोत होता है। कर एक अनिवार्य भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार करदाताओं का प्रत्यक्ष रूप से कोई मुआवजा नहीं देती।

करों के सम्बन्ध में प्रमुख समस्या करोंपण के सिद्धान्त की है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों से लेकर अभी तक राजस्व के सम्बन्ध में करोंपण के सिद्धान्त पर अपने विचार प्रकट किए हैं। एडम स्मिथ के अनुसार, किसी देश की कर प्रणाली सामान्य अथवा व्यापकता, निश्चितता, भुगतान की सुविधा तथा कर संग्रह में गतिबलक्षिता के चार मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। एडम स्मिथ के उपर्युक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने एक आदर्श कर प्रणाली को कई अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया जिन्हें उत्पादकता, सरलता, लचीलापन, विविधता आदि प्रमुख हैं इनमें प्रायः सभी लेखकों ने करों के व्यापकता के सिद्धान्त का स्वीकार किया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार करोंपण का प्रमुख उद्देश्य समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करना है। करों के अनेक प्रकार के आधार पर करों के निम्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है इनमें लाभ का सिद्धान्त, सेवा का सिद्धान्त तथा करदाता औद्योगिकता का सिद्धान्त प्रमुख हैं।

लाभ का सिद्धान्त (Benefit theory)

लाभ का सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही कर देना चाहिए जितना अनुपात में उसे राजकीय क्रियाओं से लाभ प्राप्त होता है। परन्तु यह पता लगाना कि सरकारी सेवाओं से किसी व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त हुआ है, कठिन है। इसके अलावा

इस तरह के कर का अधिकांश भाग समाज के निर्यत
वर्ग को ही वहन करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार वही
वर्ग पर अधिकांश व्यय व्यय करती है।
सेवा की लागत का सिद्धान्त (Cost of Service theory)

सेवा की लागत का सिद्धान्त के अनुसार कर की दर
उन सेवाओं की लागत के अनुपात में निश्चित होगी
चाहिए जो सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है।
किन्तु यह सिद्धान्त भी लागू सिद्धान्त के समान
शेषपूर्ण रूप अकार्यकारक है।
करदान योग्यता का सिद्धान्त (Ability to Pay theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार लोगों की कर देने की शक्ति
के आधार पर ही कर लगाना चाहिए। Adam Smith
के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कार्यों के
लिए उतना ही कर देना चाहिए जितना उसकी कर
देने की योग्यता है। Dalton ने भी इस सिद्धान्त की
अधिक कार्यात्मक व्याख्या है। "क्योंकि व्यक्तियों के बीच
करों का वितरण उनकी भुगतान करने की शक्ति के
आधार पर होना चाहिए।"

करदान योग्यता का सिद्धान्त अधिक उचित रूप
न्यायसंगत है परन्तु इस सिद्धान्त की प्रमुख कठिनाई
यह है कि करदान योग्यता को कैसे मापा जाय।
अर्थशास्त्रियों ने करदान योग्यता की माप के लिए
तीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं -

(a) वस्तुगत दृष्टिकोण (Objective approach)

अधिकंश अर्थशास्त्रियों ने करदान योग्यता को
मापने के लिए वस्तुगत दृष्टिकोण को अपनाया है।
इसके अनुसार करदान योग्यता को निम्नलिखित
तीन बातों से मापा जा सकता है -

की शक्ति का उपयुक्त आधार नहीं माना जा सकता।
 ये व्यक्तियों की मौखिक आज्ञा समान होने पर भी
 उनकी कर चुकाने की शक्ति अलग अलग हो सकती है।

b. भावनात्मक दृष्टिकोण (Subjective approach)

कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि करदाता की कष्ट उठाने या त्याग करने की शक्ति द्वारा उसकी करदाता-योग्यता को अनुमान लगाया जा सकता है। करदाता की कष्ट उठाने की शक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी करदाता-शक्ति भी होती है। त्याग के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं -

1. समान त्याग का सिद्धान्त (Principle of Equal sacrifice)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन J.S. Mill ने किया था। इसके अनुसार "करदाता की समानता का अर्थ त्याग की समानता से है। इसका अर्थ यह है कि सरकार के स्वार्थ के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला धन इस प्रकार निश्चित होना चाहिए कि इससे कोई भी व्यक्ति अपने धन का कर भुगतान करने में, इसके व्यक्तियों की तुलना में नतीजा प्राप्त और न कम दुविधा का अनुभव करे।" अतः सभी करदाताओं को सरकार के लिए समान त्याग करना चाहिए। यह सभी संगत है जब देश की कर-प्रणाली समानुपातिक है। किन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अन्यायपूर्ण है - क्योंकि जगह की दृष्टि से अधिक आय वाले व्यक्तियों के कर की दर अधिक होनी चाहिए।

2. समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त Principle of Proportional sacrifice

① उपभोग का स्तर (Level of Consumption)

किसी व्यक्ति के कर देने की शक्ति उसके उपभोग या लाभ के स्तर से जानी जा सकती है। जो व्यक्ति उपभोग पर जितना ही अधिक व्यय करता है उनकी करदात-शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। किन्तु करदात-शक्ति का यह आधार व्यापक नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का परिवार बड़ा है तो वह छोटे परिवार की तुलना में व्यक्तिगत रूप से अधिक व्यय कर चुकाने की शक्ति अधिक नहीं बल्कि कम होगी। इसके अलावा अगर उपभोग या व्यय को कर का आधार मान लेते पर लोग उपभोग की मात्रा कम कर देंगे जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

② सम्पत्ति (Property)

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सम्पत्ति के आधार पर कर चुकाने की शक्ति को मापना चाहिए। जिन व्यक्ति के पास जितनी अधिक सम्पत्ति होगी उतना ही अधिक कर लेना चाहिए। लेकिन सम्पत्ति को कर का आधार बनाना उचित नहीं है क्योंकि कुछ व्यक्तियों के व्यय तो बहुत हैं लेकिन ज्यादा खर्च करने के कारण उनकी सम्पत्ति नहीं होती इसके विपरीत कुछ ऐसे हैं जो सीमित व्यय से ही सम्पत्ति अर्जित कर लेते हैं इसलिए सम्पत्ति का सही मूल्यांकन करना कठिन है। अतः सम्पत्ति को कर लगाने का उचित आधार नहीं कहा जा सकता है।

③ आय (Income)

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यक्तियों की आय उनकी करदात-शक्ति की एक अच्छी माप है। किन्तु ~~उपभोग~~ उपभोग के समान ही आय को भी कर देने

इस सिद्धान्त के अनुसार करदाताओं पर कर का भार समान न लेकर उनकी आय के समानुपातिक होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि कम आय वाले व्यक्ति ~~की~~ ~~नीची~~ ~~दरों~~ पर तथा अधिक आय वाले ऊँची दरों पर कर दे। इस प्रकार जैसे-जैसे व्यक्तियों की आय बढ़ती है वैसे वैसे करों की दर में भी वृद्धि होनी चाहिए। यह सिद्धान्त कर-प्रणाली को प्रगतिशील करने का प्रयास करता है परन्तु यह सिद्धान्त भी समान भाग के सिद्धान्त की तरह दोषपूर्ण है।

3. न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त (Principle of minimum sacrifice)

इस सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक Edgeworth और Carver हैं। लेकिन Marshall, Pigou और Dalton ने भी इसका समर्थन किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी देश की कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि समाज का कुल फलवाकर कम से कम त्याग करना पड़े। इस सिद्धान्त को आधार आय की धरती हुई समानता उपयोगिता है। समानता उपयोगिता शासक नियम के अनुसार जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे-वैसे उसकी उत्तरोत्तर इकाईयों से मिलनेवाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अर्थात् अर्थव्यवस्था के पास धन होता है, इसलिए गिर्वन व्यक्ति की अपेक्षा उनके लिए मुद्रा की समानता उपयोगिता कम होती है इसलिए समाज का कुल त्याग तभी न्यूनतम हो सकता है जब सभी व्यक्तियों से कर न लेकर एक निश्चित सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों से ही प्रगतिशील दरों पर कर लिया जाए। सरकार को चाहिए कि वह आय की एक न्यूनतम सीमा निश्चित

करते हैं। जिन व्यक्तियों की आय इस सीमा से कम है उन्हें कर्ता से मुक्त कर दिया जाय और जिनकी आय इस सीमा से अधिक है उन्हीं लोगों से कर लिया जाय। इसके साथ ही इन व्यक्तियों से प्रायत्नशील ढंग पर कर वसूल करना चाहिए। क्योंकि इससे आर्थिक असमानताओं में कमी होती है और असमानताएँ इस प्रकार ही समाप्त कहे जा सकते हैं।

“सूक्ष्म भाग का सिद्धान्त करारोपण का मौलिक सिद्धान्त है क्योंकि यह अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त पर आधारित है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं -


रूपों की वर्णिकाएँ	भाग		
	A	B	C
1 रुपया देते हैं	5	6	10
2 रुपया देते हैं	7	7	12
3 रुपया देते हैं	8	8	13
4 रुपया देते हैं	9	10	14
5 रुपया देते हैं	10	12	15

उपरोक्त तालिका में A, B, C तीन व्यक्ति हैं जिनमें से किसी एक को कर के रूप में देना है और सरकार को 10 रुपया कर के रूप में वसूल करना है तो उसे A से 5 रुपया, B से 4 रुपया और C से 1 रुपया वसूल करना चाहिए क्योंकि इसी स्थिति में सब का सीमान्त भाग 10 के बराबर है।

इसे रेखा-चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं -

उपरोक्त चित्र में X अक्ष पर विभिन्न आय - की तथा Y- अक्ष पर आय स्तर को दिखाया गया है। LM रेखा जो सर्वाधिक आय को दिखाती है वह Horizontal Line नहीं है। LM रेखा वास्तव में प्रायत्नशील

और समुकी हुई हैं। जो बताती है करोपरान्त A आय-वर्ग वाले व्यक्तियों के पास B आय-वर्ग वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक आय शोध रह जाती है। चित्र में एक न्यूनतम आय के लोगों F, G, H, I, J (10,000 वार्षिक आय) पर कर नहीं लगेगा लेकिन 10,000 वार्षिक आय से ऊपर के लोगों A, B, C, D, E पर कर की दर प्रगतिशील होगी।



इस प्रकार सरकार को चूनी वर्ग पर उससमय तक करारोपण करत करण चाहिए ~~करत~~ जब तक कि चूनी वर्ग एवं निच्यत वर्ग की सीमान्त उपयोगिता बराबर न हो जाए। इससे सामूहिक लाभ की मात्रा न्यूनतम होगी।

यद्यपि करदान योग्यता का सिद्धान्त करारोपण को सबसे अधिक न्यायोचित सिद्धान्त माना जाता है फिर भी इस सिद्धान्त के कुछ दोष निम्नलिखित हैं—

- ① करदान योग्यता मुख्यतः लाभ पर आधारित है जबकि लाभ एक व्यक्तिगत मानसिक विचित्र है।

जिस मापना करीग है

② यह सिद्धान्त आज की घटती हुई सीमान्त उपभोगिता पर आधारित है। लेकिन उपभोगिता की मात्मागत होता है अर्थात् हर व्यक्ति के लिए एक चीज की उपभोगिता अलग अलग होती है

③ Musgrave के अनुसार करदान भोजनता का सिद्धान्त यह ही बताता की कर के बोझ को किस प्रकार वितरित किया जाय। साथ ही यह सिद्धान्त आज पक्ष की भी अवहेलना करता है

इस प्रकार इस सिद्धान्त के - कई शेष हैं।
किन्तु वर्तमान समय में करदान भोजनता सिद्धान्त को ही सामोचित माना जाता है। टेलर के अनुसार "करदान भोजनता का सिद्धान्त हमें अधासम्भव वास्तविक कर के निकट ले जाता है और वह आधार आज है"

— X —

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College